

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-28/2022- 3847 व०प०, राँची, दिनांक- 23.12.2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-834002।

विषय :- सी0सी0एल0 के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल-11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-556 दिनांक-27.06.2022, पत्रांक-880 दिनांक-01.09.2022 एवं पत्रांक-1162 दिनांक-10.11.2022 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

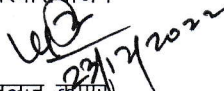
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध हजारीबाग (पश्चिमी) वन प्रमंडल एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Adequate Soil Conservation Measures लेना बाध्यकारी होगा।
- CWLW के मंतव्य के आलोक में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- विषयक परियोजना में 2.84 हे0 गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किए गए उल्लंघन पर भारत सरकार द्वारा दिनांक-29.01.2018 को निर्गत प्रावधान लागू होंगे।
- विषयक परियोजना में उल्लंघन किए गए वनभूमि के पाँच गुणा भूमि के दण्डात्मक NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- विषयक परियोजना में उल्लंघन किए गए वनभूमि के दस गुणा अवकृष्ट वनभूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- किए गए उल्लंघन के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण के पदाधिकारियों एवं उल्लंघन में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत Legal Action लिया जाएगा।
- अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

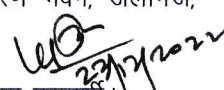
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

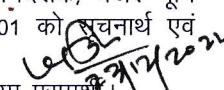
ज्ञापांक-वन भूमि-28/2022- 3847 व०प०, राँची, दिनांक- 23.12.2022

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-28/2022- 3847 व०प०, राँची, दिनांक- 23.12.2022

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची-834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

PART – V

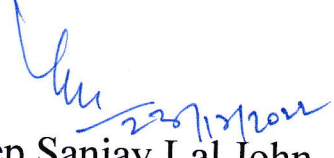
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 11.11 ha of Forest Land for construction of North Urimari Railway Siding in favour of M/S CCL under Ramgarh & Hazaribagh West Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 11.11 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 3847 dated-...23.12.2022...


Rajdeep Sanjay Lal John

Additional Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

राजदीप संजय जॉन

अपर सचिव

(Official Seal) 

झा.खण्ड, राँची

Date:

Place: Ranchi

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 880

राँची, दिनांक- 01/9/2022

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

सी0सी0एल0 के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0
(हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल
अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) के
संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्रांक 556 दिनांक 27.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक 556 दिनांक
27.06.2022 के कंडिका-20 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी
प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1054 दिनांक 29.08.2022 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसे इस
पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

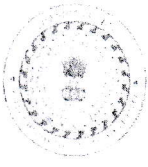
अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 3999
07 SEP 2022
झारखण्ड, राँची।

Baba
29/8/22



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन डोरण्डा, राँची-834002-



29 129

पत्रांक : - 1054

दिनांक : - 29/08/2022

सेवा में,

नितीश कुमार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:- सी0सी0एल0 के नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/others/34881/2018) के संबंध में।

प्रसंग:- आपका ज्ञापांक 556 दिनांक 27.06.2022

29.08.2022 महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संदर्भ में वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सम्बंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक बोकारो का पत्रांक 1257 दिनांक 22.08.2022 (छायाप्रति संलग्न), वन संरक्षक, बोकारो, वन संरक्षक, हजारीबाग एवं पार्ट-II में वन प्रमण्डल पदाधिकारी रामगढ़ तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी हजारीबाग पश्चिमी के मंतव्य से सहमत होते हुए अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत है:-

सी0सी0एल0 के नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु मौजा-साकुल, पतरातु एवं सयाल में कुल रकबा कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास सघन सुरक्षित वन है एवं मुख्यतः हिरण, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, नीलगाय, खरहा, गिद्व, अजगर, जंगली सुअर, सियार, मोर इत्यादि एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं।

विषयक प्रस्ताव अंतर्गत याचित/प्रस्तावित अपयोजन वन प्रमण्डल रामगढ़ तथा वन प्रमण्डल हजारीबाग पश्चिमी के क्षेत्र में पड़ने तथा विषयक अपयोजन प्रस्ताव से वनों एवं वन्यप्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले क्षेत्र में समुचित संरक्षण/प्रबंधन करने, संभावित मानव-वन्यप्राणी द्वन्द से निपटने हेतु तथा इसके इर्द-गिर्द हाथियों का आवागमन होने की स्थिति का आकलन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में दोनों प्रमंडल का Integrated Site Specific Wildlife Conservation, Management and Mitigation Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

4. Plan तैयार करने में Wildlife Institute of India, Dehradun द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "Eco-friendly measures to mitigate impact of linear infrastructure on wildlife" में उपलब्ध निदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों तथा वन संरक्षकों के निर्देशन में पालन करते हुए, Plan का सूत्रण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही क्षतिपूरक वनरोपण में वन्यप्राणियों के भोजन अनुकूल वृक्ष प्रजातियों का वनरोपण भी अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

29/8/22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

77

**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 1162

राँची, दिनांक- 10/11/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

सी0सी0एल0 के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) के संबंध में।

प्रसंग :-

1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक 3124 दिनांक 19.10.2022
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2293 दिनांक 12.10.2022
3. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1627 दिनांक 19.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वन विभागीय पत्रांक 2513 दिनांक 29.08.2022 द्वारा सी0सी0एल0 की नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2293 दिनांक 12.10.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1627 दिनांक 19.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/बोकारो के प्रतिवेदनानुसार एवं अभिलेखानुसार निराकरण निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

क्र0 सं0	पृच्छा	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	रामगढ़ वन प्रमंडल
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत NOC की प्रति।	उपायुक्त, हजारीबाग का ज्ञापांक 1990 दिनांक 18.10.2021 द्वारा जंगल- झाड़ी भूमि का सक्षम स्तर से निर्गत अनापति प्रमाण पत्र अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से संबंधित है।
2	रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित है।	विषयगत परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ) छायाप्रति संलग्न। Annexure-1. FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र Online प्रस्ताव के Additional Document में Upload कर दी गई है।

अपर मुख्य सचिव के साथ)
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 4993
10 NOV 2022
झारखण्ड, राँची।

3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में बैठकों की कार्यवाही।	उपायुक्त, हजारीबाग का ज्ञापांक 409 दिनांक 03.07.2021 द्वारा FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में हुई बैठक दिनांक 03.07.2021 की कार्रवाई की प्रति प्रमाण पत्र सहित अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से संबंधित है।
4	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य।	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1054 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे नोडल कार्यालय के पत्रांक 880 दिनांक 01.09.2022 द्वारा राज्य सरकार को भेज दी गयी है। (सुलभ संकेत हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न।)	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1054 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे नोडल कार्यालय के पत्रांक 880 दिनांक 01.09.2022 द्वारा राज्य सरकार को भेज दी गयी है। (सुलभ संकेत हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न।)
5	प्रस्ताव के पार्ट-II Enumeration list एवं आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित वृक्षों की संख्या में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडली से संबंधित प्रस्ताव के पार्ट-II में वृक्षों की संख्या शून्य दर्शाया गया है, जो सही है। अनुलग्नक-4 पर संलग्न है।	इस कार्यालय के पत्रांक 556 दिनांक 27.06.2022 में टंकणीय भूलवश परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 127 के स्थान पर 129 हो गयी थी, जबकि रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि पर वृक्षों की संख्या 127 है।
6	रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि के घनत्व के संबंध में पार्ट-II एवं आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित है।	इस कार्यालय के पत्रांक 556 दिनांक 27.06.2022 में टंकणीय भूलवश रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि का घनत्व 0.2 अंकित हो गयी थी, जबकि प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.3 है।

अतः उपरोक्त दोनों वन प्रमंडल से संबंधित प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन अपेक्षित है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

10-11